पत्रांक–7 / MDMC3-05/2007 579 /

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/5/12

विषयः खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण संबंधित प्रतिवेदन प्रतिमाह उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विद्यालयों में खाद्यान्न की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्न के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु अंधिकृत संस्थाओं एवं संवेदकों के कार्यों की समीक्षा हेतु निम्नरूपेण प्रपत्र में प्रतिवेदन अपेक्षित है :–

प्रपत्र

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटन की तिथि	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेश की तिथि	राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत भंडारं निर्गत आदेश की तिथि	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न क्रा उठाव की तिथि	संवेदकों द्वारा राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव की तिथि
1	2	3	4	5	6	7

उक्त हेतु निम्न अनुदेशों का अनुपालन किये जाने की आवश्यकता है :–

1. प्रत्येक माह कें 9वी तारीख तक विद्यालयवार उपावंटन आपके द्वारा किया जाना ;
2. उपावंटन आदेश निर्गत होने के दो दिनों के अन्दर भारतीय खाद्य निगम से आंवटित खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश प्राप्त किया जाना।
3. राज्यं खाद्य निगम द्वारा निर्गत विमुक्ति आदेश प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर भंडार निर्गत आदेश उपलब्ध कराया जाना।
4. भारतीय खाद्य निगम से निर्गत विमुक्ति आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाना।
5. अधिकृत संवेदकों द्वारा भंडार निर्गत आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों में वितरण किया जाना।

उपरोक्त प्रपत्र में तिथि अंकित किया जाना है एवं प्रतिमाह 20वी तारीख तक उक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना है ताकि यह समीक्षा की जा सके कि खाद्यान्न की उपलब्धता में कहाँ कठिनाई हो रही है।

समय सीमा के अन्दर अगर राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो उक्त की सूचना तुरत निदेशालय को दिया जाना है ताकि निदेशालय स्तर से खाद्यान्न के ससमय उपलब्धता में अग्रेतर कार्यवाई की जा सके। अतएव आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के तृतीय त्रैमास से अबतक का उक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

ह०
(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 579 / दिनांक 15/5/12

प्रतिलिपिः (1) सभी जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(3) श्री विजय प्रताप सिंह, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, मध्याह्न भोजन योजना को समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

14.5.12
(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।